

निविदा सूचना सं. - 02 (2020-21)

नगरपालिका मण्डल रतननगर द्वारा वित्तिय वर्ष 2010-21 के अन्तर्गत निम्नांकित कार्यो/व्यवस्थाओं आदि के लिए दरों का वार्षिक अनुबन्ध किये जाने हेतु सक्षम, योग्य, पंजीकृत संवेदको/फर्मो/ठेकेदारों/संस्थाओं से सील बंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदाएँ कार्य के आगे अंकित दिनांक को दोपहर 2:00 PM तक विक्रय की जाकर सांयकाल 4:00 PM तक प्राप्त की जावेगी। प्राप्त निविदाओं को उसी दिन 5:00 PM पर उपस्थित निविदादाताओं या उनके प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जावेगी। उक्त निविदा वेबसाइट www.Sppp.Raj.nic.in पर भी देखी जा सकती है।

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनु. राशि (लाखों में)	धरोहर राशि		निविदा शुल्क	निविदा विक्रय दिनांक	प्राप्त एवं खोलने की दिनांक	समयावधि
			2 %	0.5%				
1	कम्प्यूटर ऑपरेटर (3)	3.50	7000	1800	500	18.06.2020	18.06.2020	वार्षिक अनुबन्ध
2	स्ट्रीट लाईन रख रखाव तथा डिग्गीयों पर चालित मोटरो व पैनल बोर्डों के रख-रखाव का एवं अन्य कार्य	2.00	4000	1000	500	18.06.2020	18.06.2020	वार्षिक अनुबन्ध
3	टेक्सी कार अनुबंध पर लेने हेतु	2.00	4000	1000	500	18.06.2020	18.06.2020	वार्षिक अनुबन्ध
4	ट्रेक्टर मय ट्रॉली अनुबंध पर लेने हेतु	2.40	4800	1200	500	18.06.2020	18.06.2020	वार्षिक अनुबन्ध

शर्त :-

- सक्षम अधिकारी के पास निविदाएँ स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार सुरक्षित होगा एवं सभी प्रसंगो पर न्यायिक कार्यवाही का अधिकार निकाय को होगा न कि पक्षकार को।
- नियमानुसार धरोहर राशि व निविदा शुल्क निविदा विक्रय के समय बैंकर्स चैक/डी.डी. द्वारा जोकि अ.अ.न.पा.रतननगर के नाम देय जमा करवाना आवश्यक है।
- सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
- स्वीकृत निविदादाता को 500/रु. के नॉन ज्युडिशियल स्टॉफ पेपर पर अनुबन्ध करवाना अनिवार्य होगा।
- प्रस्तुत दरे राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र निर्देश आदेश के अध्ययीन रहेगी।
- संवेदक की सेवाओं को नगरपालिका द्वारा पूर्व सूचना देकर किसी भी समय समाप्त की जा सकती है।
- श्रम विभाग के नियमों की पूर्ण पालना करनी अति- आवश्यक होगी।
- उपरोक्त शर्तों के अलावा अन्य सभी सम्बन्धित शर्तें कार्यालयानुसार व राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/परिपत्रों के अध्ययीन रहेगी।
- अनुबन्ध की समयावधि वित्तीय वर्ष (2020-21) के अन्तर्गत 31 मार्च 2021 तक एवं उक्त कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के अध्याधीन रहेगी। जिसको नगरपालिका द्वारा नियमानुसार घटाया व बढ़ाया जा सकता है।
- समस्त विधिक कार्यवाही का अधिकार निकाय में निहित होगा। न कि पक्षकार को।
- कार्य सं. 03 के लिए टेक्सी कार मय ड्राईवर होगा।
- कार्य सं. 03 के लिए कार का टेक्सी नम्बर राजस्थान का होना चाहिए। साथ ही ड्राईवर को अपना ड्राईविंग लाईसेंस, आर.सी., पैन कार्ड, आधार कार्ड एवं अपना खाता सं. मय पास बुक की प्रति उपलब्ध करवाना जमा होगा।
- कार्य संख्या संख्या 03 के लिए संवेदक/फर्म/व्यक्ति को दरें प्रति किलोमीटर के आधार पर उपलब्ध करानी होगी।
- कार्य सं. 03 के लिए संवेदक का पुरे माह में की गई यात्रा का विवरण प्रति/किलो मीटर के हिसाब से लॉक बुक में भरवाकर प्रमाणित करवाना आवश्यक होगा। उसके बाद ही भुगतान किया जायेगा।
- कार्य सं. 04 के लिए ट्रेक्टर मय ट्रॉली का रख-रखाव संवेदक का होगा।
- कार्य सं. 04 के लिए ड्राईवर व ईंधन निकाय का होगा।
- कार्य सं. 04 के लिए दर प्रतिदिन की देनी होगी।
- कार्य सं. 01 व 02 की अन्य शर्तें किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय में उपस्थित होकर एवं SPPP पोर्टल पर देखी जा सकती है।



अधिशायी अधिकारी

नगरपालिका रतननगर (चूरु)


क्रमांक : 432-433

- श्रीमान सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, चूरु (राजस्थान संवाद के माध्यम से प्रकाशित करने बाबत)।


अध्यक्ष

नगरपालिका रतननगर (चूरु)

दिनांक : 10/6/2020


अधिशायी अधिकारी

नगरपालिका रतननगर (चूरु)